आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक -- ता०.....से.....तक

जिला....., सं०....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 87/2014

सचिन्द्र कुमार एवं अन्य -- अपीलार्थीगण

वनाम

इन्द्रभूषण कुमार एवं अन्य -- रेस्पोण्डेन्ट्स

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज द्वारा पारित आदेश दिनांकः 06.02.14 ई० अन्दर नामांतरण वाद संख्याः 1146/04–05 के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर किया गया है।

वाद पुकारा गया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को नामांकन के विन्दु पर सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

प्रस्तुत अपीलवाद में मौजा–जयराम पारसी, थाना नं0 –173 खाता संख्या 13, खेसरा संख्या 1078, 1080, 873 नया, 602 पुराना कुल रकबा 00. 28 डी विवादी भूमि है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता बहस के क्रम में निम्नन्यायालय द्वारा पारित आदेश को विधि विरूद्ध बतलाते हुए समुचित आदेश पारित करने हेतु अनुरोध करते हैं।

दूसरी ओर सरकारी विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि न्यायालय जिला दंडाधिकारी,–सह– समाहर्त्ता, मधेपुरा के द्वारा दाखिल खारीज पुनरीक्षण वाद संख्या 02/2007 इन्दुभूषण बनाम सचेन्द्र कुमार में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज को दोनों पक्षों को फिर से सुनकर भूमि विवाद अधिनियम 2010 के तहत आदेश पारित करने हेतु निदेशित किया गया था, परन्तु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज द्वारा वाद को भूमि विवाद अधिनियम 2010 के आलोक में सुनवाई न कर संबंधित पक्षकार का वाद को नामांतरण वाद के रूप में सुनवाई कर आदेश पारित किया गया है जो जिला दंडाधिकारी–सह– समाहर्त्ता, मधेपुरा के द्वारा पारित आदेश के प्रतिकूल है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात के अवलोकनोपरान्त पाया कि निम्न न्यायालय द्वारा न्यायालय जिला दंडाधिकारी –सह– समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा दिए गये निदेश के आलोक में वाद का सुनवाई न कर नामांतरण वाद के रूप में सुनवाई कर आदेश पारित किया गया है जो सही प्रतीत नहीं होता है। अतएव वाद को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज को उक्त न्यायालय द्वारा दिए गये निदेश के आलोक में दोनों पक्षों को फिर से भूमि विवाद अधिनियम 2010 के तहत एक माह के अन्दर सुनवाई कर समुचित आदेश पारित करने हेतु Remand (पुनःप्रेषित) किया जाता है। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

6/5/14

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

6/5/14

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा